



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933

No. 148]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2011

फा. सं. भा.आ.प.-12(2)/2010-मेडि.-विविध/22383.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2010" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. (i) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में अनुसूची-II एन बी. में क्रम सं. 6 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा—

"7. वे सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यताएं जो यूके/यूएसए/कनाडा/ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड के विद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई हों, भारत में संबंधित विशेषज्ञता में मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर नामांकन हेतु मान्य है किंतु मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में शिक्षण के उद्देश्य से मान्य नहीं हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति भारत के मेडिकल कॉलेज में शिक्षण नियुक्ति का इच्छुक हो, तो संबंधित विभाग में सीनियर रेजीडेंट के पद हेतु उसकी योग्यता को, यथास्थिति एमडी/एमएस/डीम/एमसीएच के समकक्ष समझा जाएगा।"

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में के अंतर्गत यथासंशोधित "अकादमिक शैक्षिक योग्यताएं, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत "सारणी-1" में आपात् चिकित्सा विभाग के सामने 'अकादमिक योग्यताएं' वाले कालम में एम.एस. (अस्थिरोग विज्ञान) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"एम.डी (बालरोग विज्ञान)"

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/अस.]

पाद टिप्पणी:—प्रधान विनियमावली नामतः “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” दिनांक 5 सितंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16-3-2005, 21-7-2009, 28-10-2009, 15-12-2009, 3-11-2010 और 4-11-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2011

F. No. MCI-12(2)/2010-Med. Misc./22383.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, namely:—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein:—

3. (i) In the “Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in SCHEDULE-II N. B., the following clause shall be added after Sl. No. 6—

“7. All Postgraduate Medical Qualifications awarded by medical Schools/Universities in UK/USA/Canada/Australia/Newzealand, shall be treated as recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned speciality but not for teaching purposes in medical colleges/institutes in India. However, if a person desires to take up teaching appointments in a medical college, his/her qualification can be considered as equivalent qualification with MD/MS/DM/M.ch, as the case may be, for the post of Senior Resident in the respective department in a Medical College in India.”

(ii) In the “Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in ‘TABLE-I’ under the heading “REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE”, in the column of “Academic qualifications” against the department of EMERGENCY MEDICINE, the following shall be added after M.S. (Orthopedics) :—

“M.D. (Pediatrics)”

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note.— The principal Regulations namely, “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended *vide* MCI notifications dated 16-3-2005, 21-7-2009, 28-10-2009, 15-12-2009, 3-11-2010 and 4-11-2010.